(प्रशासन गॉवों के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यायलय तरवाला)

अध्यासित द्वारा:– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
25/19	25.03.19	13.11.2021

उनवान

1. भूतेरी पुत्री गोपीराम पत्नि लल्लूराम जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल साहडोद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
2. कैला पुत्री गोपीराम पत्नि सहदेव जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल साहडोद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. सुनेरी पुत्री गोपीराम पत्नि पूर्ण जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल दिल्ली।
4. पतासी पुत्री गोपी पत्नि रणसिंह जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल दिल्ली।

वादीगण:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी:–

दावा अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री बालकृष्ण एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

आज पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:–

वादीगण ने यह वाद अंतर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आ0ख0न0 22 मिन रकबा 2–14 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 43 रकबा 1–06 बिस्वा, 45 मिन रकबा 1–08 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 2–14 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास पैमूद हुए है। उक्त आराजी का आसनमल पुत्र चौथमल जाति खत्री निवासी सांथलका खसरा नंबर 22 मिन रकबा 2–14 बिस्वा को खातेदार था जिसके उक्त आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा हमवादीगण के मृतक भाई सुंदर सिंह पुत्र गोपीचंद जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास बाकब्जा प्रतिफल लेकर बेचान कर दिया जो बयनामा पुस्तक संख्या 01 जिल्द नंबर 50 पृष्ठ संख्या 77–78 कम संख्या 610 दिनांक 30.06.1971 को पंजीबद्ध हुआ है तथा मौके पर हम वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

भाई श्री सुंदर सिंह को कब्जा संभला दिया। वक्त खरीद से आज तक हम वादीगण के भाई सुंदर सिंह व उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने इंतकाल दे दिया था। जिस बयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 09 दर्ज व मंजूर हुआ, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण उक्त इंतकाल का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं आया। हम वादीगण के भाई जो ग्रामीण परिवेश व अनपढ व्यक्ति थे। जिनको उक्त गलत अंकन की कोई जानकारी नहीं थी। तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन आसनमल का होने के कारण आसनमल के वारिसान ने उसकी विरासत का इंतकाल दर्ज कराने हेतु इंतकाल नंबर 162 पेश किया, जो इंतकाल कार्यालय ग्राम पंचायत माछरोली द्वारा दिनांक 10.09.1989 इस नोट के साथ खारिज कर दिया कि आसनमल द्वारा उक्त आराजी का विक्रय पूर्व में ही कर दिया, अतः इंतकाल खारिज किया जाता है। और मृतक आसनमल के वारिसान के इंतकाल को खारिज कर दिया।

सुंदर सिंह जो अविवाहित फौत हो गया, जिसके हम वादीगण जायज व विधिक वारिसान है। हम वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इसलिए हम वादीगण के नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

अंत में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है:—

(अ) डिक्री इजराय इश्तकाराहक इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा संख्या 22 मिन रकबा 2—14 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 43 रकबा 1—06 बिस्वा, 45 मिन रकबा 1—08 बिस्वा किता 02 रकबा 2—14 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास जिला अलवर का वादीगण के भाई सुंदर सिंह पुत्र गोपी चंद जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर खरीदशुदा मालिक होने के कारण सुंदर सिंह के अविवाहित फौत होने के कारण हम वादीगण को जायज व विधिक वारिसान मानते हुए विवादित आराजी का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(ब) डिक्री इंद्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा संख्या 22 मिन रकबा 2—14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 43 रकाब 1—06 बिस्वा, 45 मिन रकबा 1—08 बिस्वा किता 02 रकबा 2—14 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास के राजस्व रिकॉर्ड से आसनमल पुत्र घोथगल जाति खत्री निवासी सांथलका तहसील किशनगढबास का अंकन राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर हटाया जावे तथा उसके स्थान पर हम वादीगण जो मृतक सुंदर सिंह के विधिक व कानूनी वारिसान है हम वादीगण के नाम का अंकन बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(स) हर्जा खर्चा मुकदमा का वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

(द) अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे वादीगण को अता फरमाई जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल पैरोकार सरकार की ओर से जबाब हेतु मौके चाहे गये। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2035, नकल जमाबन्दी संवत् 2029, नकल जमाबन्दी संवत् 2068—71, 2064—67, 2063—66 नकल जमाबन्दी संवत 2052, 2048, 2044, 2039, फोटोप्रति बयनामा, नकल इंतकाल संख्या 01, नकल इंतकाल संख्या 09, नकल इंतकाल संख्या 162, नकल नक्शा ट्रेस व नकल जमाबन्दी संवत 2072—75 पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

आज प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय तरवाला पर वादीगण उपस्थित हुए, वादीगण को सुना गया। तथा पैरोकार सरकार को भी सुना गया। वादीगण ने बताया कि आराजी विवादित हमारे मृतक भाई सुंदर सिंह की खरीदशुदा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है, चूंकि हम वादीगण उसके विधिक वारिसान है, हमारे नाम ही खातेदारी का अंकन होना चाहिए, परंतु जमाबंदी में विक्रेता आसनमल के नाम का ही अंकन हो रहा है, जो गलत है उसे हजफ किया जाकर हम वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे।

पक्षकारान को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत फोटोप्रति बयनामा दिनांक 30.06.1971 के अवलोकन से साबित है कि श्री आसनमल पुत्र चौथमल खत्री ने साबिक खसरा नंबर 22 मिन रकबा 2–14 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास को बेचान सुंदर सिंह पुत्र गोपी चंद के पक्ष में किया है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबित है कि साबिक खसरा नंबर 22 मिन रकबा 1–06 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 43 रकबा 1–06 बिस्वा व 22 मिन रकबा 1–10 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 45 मिन रकबा 1–10 बिस्वा पैमूद हुए है। नकल जमाबंदी संवत 2029 के अवलोकन से साबित है कि हाल खसरा नंबर 45 रकबा 2–1 बिस्वा और 43 रकबा 1–06 बिस्वा आसन मल पुत्र चौथमल खत्री की गैरखातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2068–71 में खसरा नंबर 45 रकबा 0.52 है0 का आसन मल पुत्र चौथमल खत्री खातेदार 1–10 बिस्वा व गैर खातेदार 11 बिस्वा दर्ज है। तथा खसरा नंबर 43 रकबा 0.33 है0 का आसनमल पुत्र चौथमल खत्री खातेदार दर्ज है। तदानुसार ही उक्त अमल ताहाल जमाबंदी में होता चला आ रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से भलीभांति साबित होता है कि खसरा नंबर 22 मिन रकबा 2–14 बिस्वा जो रकबा भू–प्रबंध विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 43 में 1–06 बिस्वा व हाल खसरा नंबर 45 में रकबा 1–08 बिस्वा शामिल किया गया है, जो वादीगण के मृतक भाई सुंदर सिंह का खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा है। परंतु उक्त रकबे पर सहवन से विक्रेता आसनमल पुत्र चौथमल खत्री की खातेदारी में दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि बाद बेचान विक्रेता के आराजी उक्त में कोई हक हकूक शेष नहीं रहं है। इस प्रकार वादीगण का वाद भली भांति साबित होता है कि वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि–

वाद वादी वय हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 43 रकबा 1–06 बिस्वा पूर्ण, हाल खसरा नंबर 45 रकबा 1–02 बिस्वा में से रकबा 1–08 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास का वादीगण को केता मृतक सुंदर सिंह पुत्र गोपीराम के विधिक वारिसान होने के कारण खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबे की जद तक हाल जमाबंदी में जो अमल आसनमल पुत्र चौथमल खत्री साकिन देह खातेदार के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर बाद दुरूस्ती वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय तरवाला पर सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

(प्रशासन गॉवों के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यायलय तरवाला)

अध्यासित द्वारा:– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
25 / 19	25.03.19	13.11.2021

उनवान

1. भूतेरी पुत्री गोपीराम पत्नि लल्लूराम जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल साहडोद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
2. कैला पुत्री गोपीराम पत्नि सहदेव जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल साहडोद तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. सुनेरी पुत्री गोपीराम पत्नि पूर्ण जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल दिल्ली।
4. पतासी पुत्री गोपी पत्नि रणसिंह जाति गुर्जर निवासी सेवखेडा हाल दिल्ली।

वादीगण:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी:–

दावा अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री बालकृष्ण एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिक्री

दावा वादी बय हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 43 रकबा 1–06 बिस्वा पूर्ण, हाल खसरा नंबर 45 रकबा 1–02 बिस्वा में से रकबा 1–08 बिस्वा वाके ग्राम सांथलका तहसील किशनगढबास का वादीगण को केता मृतक सुंदर सिंह पुत्र गोपीराम के विधिक वारिसान होने के कारण खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबे की जद तक हाल जमाबंदी में जो अगल आसानन्द पुत्र चौथमल खत्री साकिन देह खातेदार के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर बाद दुरूस्ती वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)